बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– /पटना, दिनांक–
सं0सं0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/2018
प्रेषक,
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।
द्वारा:– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :–वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन/पुनर्विनियोग द्वारा प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि रु0 3559.55 लाख (पैंतीस करोड़ उनसठ लाख पचपन हजार रू0) मात्र के स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–922 दिनांक–06.06.2018 एवं पत्रांक–99 दिनांक–08.01.2019 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन/पुनर्विनियोग द्वारा प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि रु0 3559.55 लाख (पैंतीस करोड़ उनसठ लाख पचपन हजार रु0) मात्र के स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा स्व–रोजगार हेतु बैंकों के द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिये कोलेट्रॉल सेक्युरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी हेतु राशि नहीं रहने के कारण संबंधित प्रक्षेत्र के लाभुकों का ऋण स्वीकृत नहीं हो पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग, बिहार, पटना के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों को उद्योग स्थापित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन योजना लागू किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत संबंधित प्रक्षेत्र के युवा एवं युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 (पाँच) लाख ब्याज मुक्त ऋण तथा 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 (पाँच) लाख विशेष प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अनुदान/सब्सिडी उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) सहायता के लिए प्रति इकाई रू0 25,000/–(पचीस हजार रुपये) की दर से व्यय किया जायेगा। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट द्वारा की जायेगी।

3. इस योजना के अन्तर्गत केवल नये उद्योगों के लिए लाभ देय होगा। इन इकाईयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का लाभ देय होगा।

4. इस योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि की विमुक्ति तीन चरणों में की जायेगी। प्रथम किस्त का भुगतान परियोजना स्वीकृति के उपरान्त 25 प्रतिशत अधिकतम रु0 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) किया जायेगा। उद्यमी द्वारा भूमि की व्यवस्था तथा शेड का निर्माण के उपरांत द्वितीय किस्त परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु0 5.00 (पाँच) लाख विमुक्त किया जायेगा। उद्यमी द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना एवं प्रथम तथा द्वितीय किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरांत शेष अनुदान के रूप में 25 प्रतिशत राशि अधिकतम रु0 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) का भुगतान किया जायेगा।

5. इस योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने वाले लाभुकों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रु0 10.00 लाख का 50 प्रतिशत ब्याज रहित ऋण स्वीकृत की जायेगी तथा इसकी वसूली बिहार स्टार्ट–अप फंड ट्रस्ट द्वारा 84 सामान किस्तों में की जायेगी। प्रथम किस्त परियोजना स्वीकृति के 01 (एक) वर्ष के उपरान्त देय होगी। योजना का शेष 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जायेगी। कुल

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांक–
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांक–
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त, बिहार, पटना के विशेष कार्यपदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /पटना, दिनांक–
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक (तक0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में)/उप निदेशक (तक0), स्टार्टअप प्रभारी, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 1006 /पटना, दिनांक– 12.03.19
सं0स0– 4तक0/अनुसूचित जाति प्रक्षेत्र/04/ 2018
प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा–1 (सरकार) योजना, उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग को 05 अतिरिक्त प्रतियों में/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
12/3/19